आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की ग कार्रवाई के बारे टिप्पणी तारीख स
2	3

अभिलेख उपस्थापित।

उदय शंकर, पिता-स्व0 भोला राम, ग्राम-हुड़हुडु, थाना-सदर, जिला-हजारीबाग द्वारा अंचल-सदर, ग्राम-हुड़हुडु, थाना नं0-147, खाता संख्या-80, प्लॉट संख्या-748, रकवा-06 डी0 भूमि प्रमीला कुमारी, पिता-धनेश्वर तुरी एवं पति प्रभात कुमार मिर्धा, ग्राम-रेलीगडा, बंसकुदरा, थाना-गिद्दी-ए, जिला-हजारीबाग, हाल मोकाम ग्राम-डांटोकला, थाना-कटकमसांडी के नाम भूमि बिक्री करने हेतु आवेदन-पत्र प्राप्त हुआ। प्राप्त आवेदन के आलोक में परमीशन वाद संख्या 31/2022 प्रारम्भ कर आम इस्तेहार का तामिला कराते हुए विहित प्रपत्र में जॉंच प्रतिवेदन की मॉंग अंचल अधिकारी, सदर से की गई।

अंचल अधिकारी, सदर द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि –

केता प्रमीला कुमारी एवं विक्रेता उदय शंकर अनुसूचित जाति के अन्तर्गत आते हैं तथा एक ही जिला के निवासी हैं। बिक्री की अनुमति के पश्चात आवेदक भूमिहीन के श्रेणी में नहीं आयेंगे। आवेदक को भूमि बिक्री करने का पूर्ण अधिकार है। बिक्री की अनुमति के पश्चात् आवेदक के पास संयुक्त खाता में रकवा 19 डी0 भूमि बचेगी। खतियान के अनुसार भूमि रैयती खाते की है एवं मानकी दुसाध के नाम दर्ज है। भूमि आवेदक को केवाला से हासिल है। पंजी-II के पृष्ट सं0 152/IX पर पनवा देवी के नाम जमाबंदी कायम है एवं ऑनलाईन रसीद वर्ष 2019-20 तक निर्गत है। साथ ही लगान रसीद की छायाप्रति भी संलग्न की गयी है। प्रतिवेदन के साथ प्रस्तावित भूमि का ट्रेस नक्शा भी संलग्न किया गया है।

अंचल अधिकारी, सदर द्वारा भी विक्रेता को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के तहत् प्रश्नगत् भूमि के बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा की गई है।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अभिलेख के साथ संलग्न विक्रेता उदय शंकर का अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, हजारीबाग द्वारा निर्गत् ऑनलाईन स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र संख्या JHRC/2018/776516 दिनांक 29.09.2018 एवं अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, हजारीबाग द्वारा निर्गत् जाति प्रमाण-पत्र संख्या JHCC/2018/923680 दिनांक-26.09.2018 और केता प्रमीला कुमारी का अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, हजारीबाग द्वारा निर्गत् ऑनलाईन स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र संख्या JHRC/2018/624406 दिनांक 30.07.2018 एवं अंचल

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश कार्रवाई टिप्पणी
1	2	
	अधिकारी, कटकमसांडी, हजारीबाग द्वारा ऑनलाईन निर्गत् जाति प्रमाण–पत्र संख्या JHCC/2018/871528 दिनांक 28.07.2018 के आधार पर तथा अंचल अधिकारी, सदर के जाँच प्रतिवेदन के आलोक में छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा–46 के अन्तर्गत अंचल–सदर, ग्राम–हुड़हुड़ु, थाना नं0–147, खाता संख्या–80, प्लॉट संख्या–748, रकवा–06 डी0 भूमि को बिक्री करने की अनुमति प्रदान की जाती है। साथ ही अभिलेख की कार्यवाही समाप्त की जाती है। लेखापित एवं संशोधित 01/9/22 अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग। 01/9/22 अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग।	

Digitally signed by RAKESH RAUSHAN
Date: 2022.09.02 17:48:57 +05:30
Location: 192.168.100.2